उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा
(विधि शाखा)

आम सूचना

विधि विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 1612/जे0 दिनांक 25–7–2017 एवं पत्रांक 1555/जे0 दिनांक 15–6–2017 के आलोक में कोडरमा जिला के लिए सहायक सरकारी वकील की नियुक्ति हेतु प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश, कोडरमा के परामर्श से सुयोग्य व अनुभवी अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा सूची उनके जीवन वृत एवं अधिवक्ता पंजीयन की प्रति के साथ विधि विभाग को भेजा जाना है।

उक्त के आलोक में इच्छुक अधिवक्ताओं से दिनांक 20–8–2018 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थें। समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशन नहीं होने के कारण आवेदन समर्पित करने की तिथि दिनांक 30–8–2018 तक विस्तारित की जाती है।

आवेदक सभी आवश्यक कागजातों, यथा–शैक्षणिक योग्यता, बार काउंसिल का निबंधन आदि के साथ अपना आवेदन जिला विधि शाखा, कोडरमा में दिनांक 30–8–2018 तक जमा कर सकते हैं।

आवेदकों की संख्या यदि 10 से अधिक होने पर मेधा सूची निम्न आधार पर तैयार की जायेगी :–

1. 20 अंकों की लिखित परीक्षा/साक्षात्कार
2. 10 अंकों का कम्प्यूटर जॉच

अधिक अनुभव वाले अधिवक्ताओं को मेधा सूची में प्राथमिकता दी जायेगी।

इस आम सूचना को रद्द करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
उपायुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक 568/वि0 दिनांक 20/08/2018

प्रतिलिपि – जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है उपर्युक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है उपर्युक्त सूचना प्रकाशन कोडरमा जिला के वेबसाईट www.koderma.nic.in पर करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – अध्यक्ष / सचिव, बार एसोसियेशन, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोडरमा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
कोडरमा।